<u>**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)**</u>

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>**प्रकरण संख्या—83 / 2025**</u>

1. ईश्वर पुत्र हरीराम जाति नाई निवासी निरवाल तहसील रावतसर जिला हनुमागनढ़।
2. नारायण पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

—अपीलान्ट .

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर।

—रेस्पोडेन्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनु.)

उपस्थित:— श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अपीलांट।

<u>**निर्णय**</u> दिनांक :— 30.01.2026

अपीलांट ईश्वर पुत्र हरीराम जाति नाई निवासी निरवाल तहसील रावतसर, नारायण पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर द्वारा विरूद्ध आदेश दिनांक 11.12.2025 तहसीलदार रावतसर, को निरस्त करने निरस्त करनें बाबत अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि चक 3—4 NWM तहसील रावतसर के प0 नं0 16 / 39 (81) व 16 / 38 (57) में स्थित है अपीलान्ट के खेत की सींव पर पत्थर नं. 16 / 34 से 16 / 39 में किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 के प्रत्येक मुरब्बा में स्थित तथा कच्चा रास्ता है जो सदामत से चला आ रहा है चूंकि अब उक्त रास्ता पर लिंक रोड़ बनाने की तैयारी चल रहीं है। हमने उक्त रास्ता की सीमा ज्ञान बाबत प्रार्थना पत्र तहसीलदार रावतसर को पेश किया तथा दिनांक 14.5.2025 को उक्त रास्ते की पैमाईश करवाई गई जिसमें बिना किसी आधार के चिपते खेत पड़ोसी की सीमा में चिन्हित करके निशान देही दी गई जिसकी हमने आपति लगाई और दिनांक 18.07.2025 को पुनः टीम गठित करके GPS से पैमाईश करवाई तथा सदामत से स्थाई पत्थर नं. 17 / 1 से पैमाईश की तो तहसीलदार, गिरदावर व पटवारी ने माना कि पूर्व में की गई पैमाईश गलत थी तथा सही निशान दे[illegible]ई लेकिन काश्तकारों के विवाद के कारण पत्थर गढ़ी नहीं की [illegible] प0 नं0 17 / 1 से की गई पैमाईश के आधार पर निशान देही का नि[illegible]न किया और दिनां[illegible]2.2025 को प्रार्थना पत्र पेश किया तब पटवारी व गिरदावर ने यह लिख दिया कि स्थाई पत्थर नं. 17 / 1 जिससे पैमाईश की गई थी वह अज्ञात व्यक्ति उखाड़ कर ले गया, इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:37:46 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

निशान देही सम्भव नहीं है फिर भी दिनांक 11.12.2025 को जबरिया तहसीलदार रावतसर ने पीडब्ल्यूडी खण्ड रावतसर को यह आदेश जारी कर दिया किया कि निकटतम पत्थर को आधार मानकर निशान देही देकर कार्य शुरू करे, जो निम्न आधारों पर निरस्त योग्य है–

(क) मातहत अदालत तहसीलदार रावतसर का उक्त आदेश मनमाना व स्वैच्छाचारिता पूर्ण है तथा यह आदेश न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है।

(ख) जब दिनांक 18.07.2025 को जीपीएस से टीम गठित करके पैमाईश हो चुकी है तथा वही अंतिम पैमाईश है तो फिर से नये पत्थर से पैमाईश नहीं करवाई जा सकती इसलिए यह आदेश निरस्त योग्य है।

(ग) तहसीलदार रावतसर ने दवाब में आकर अपने ही आदेश से पैमाईश करवाकर राजनैतिक दवाब में आकर निशान देही नहीं दी है तथा फिर से पत्थर नं. 17/1 पर स्थाई पत्थर था वह अज्ञात लोगो के द्वारा ले जाना बताकर जिसकी शिकायत पुलिस थाना रावतसर व जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ में कर रखी है फिर भी दवाब में आकर विधि विरूद्ध तरीके से नजदीकी पत्थर नम्बर से निशान देकर कार्य शुरू करवाना विधि विरूद्ध है तथा निरस्त योग्य है।

(घ) उक्त आदेश कि आड़ में जबरिया निशान देही दी जाकर कार्य शुरू करवाया जाता है तो उक्त रास्ते के पश्चिम दिशा में हमारी 10–12 फिट भूमि शेष रह जायेगी और वह काबिल काश्त नहीं रहेगी तथा जबरिया हमें मकान व टयूबैल हटाने होंगे जिससे हमें भारी नुकसान होगा इसलिए तहसीलदार रावतसर का आदेश दिनांक 11.12.2025 निरस्त किया जाकर पुनः पत्थर नम्बर 17/1 से ही पैमाईश करवाये जाने के आदेश पारित किया जावे ताकि अपीलान्ट को न्याय मिल सके।

अतः अपील अपीलान्ट पेश करके निवेदन है कि तहसीलदार रावतसर के आदेश दिनांक 11.12.2025 की पालना को स्थगित की जाकर पुनः ब्लॉक के स्थाई पत्थर नं. 17/1 से ही पैमाईश करवाने का आदेश पारित किया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर से अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि चक 3–4 NWM तहसील रावतसर के प0 नं0 16/39 (81) व 16/38 (57) में स्थित है। अपीलांट की कृषि भूमि में से कच्चा रास्ता है, जो सदामत से चला आ रहा है। उक्त रास्ता पर लिंक रोड़ बनाने की योजना है। इस रास्ते की सीमा ज्ञान बाबत प्रार्थना पत्र तहसीलदार रावतसर को पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:57:46 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

किया तथा दिनांक 14.05.2025 को इस रास्ते की पैमाईश करवाई गई, लेकिन कुछ काश्तकारों के द्वारा विरोध करनें पर दिनांक 18.07.2025 को पुनः टीम गठित करके GPS से पैमाईश करवाई तथा स्थाई पत्थर नं0 17/1 से पैमाईश की तो तहसीलदार, गिरदावर व पटवारी ने माना कि पूर्व में की गई पैमाईश गलत थी तथा सही निशान देही दे दी गई लेकिन काश्तकारों के विवाद के कारण पत्थर गढ़ी नहीं की गई। अपीलांट द्वारा दिनांक 01.12.2025 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प0 नं0 17/1 से की गई। पैमाईश के आधार पर निशान देही का निवेदन किया, तब हल्का पटवारी व गिरदावर ने यह लिख दिया कि स्थाई पत्थर नं. 17/1 जिससे पैमाईश की गई थी, वह अज्ञात व्यक्ति उखाड़ कर ले गया, इसलिए निशान देही सम्भव नहीं है। दिनांक 11.12.2025 को तहसीलदार रावतसर ने निकटतम पत्थर को आधार मानकर निशान देही देकर कार्य शुरू करनें का आदेश दिया, जो कि उचित नहीं है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पुनः GPS से पैमाइस करवानें के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एंव तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पारित निर्णय/ आदेश प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पारित आदेश/निर्णय में त्रुटि कारित की है।

अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2025 को अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार रावतसर को प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि प्रकरण से संबधित समस्त प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई अवसर दिया जाकर एंव प्रभावति पक्षकारन की उपस्थिति में स्थाई पत्थर नं0 17/1 से सैटलमेंट विभाग से पुनः पैमाईस करवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 30/1/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:
Reason: SelfAttested

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)